



(30)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल गवालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी PB(R) निगरानी | मंदसौर | भू-२० | २०१८ | 2038

1. कारुलाल पिता मांगूजी, जाति-चमार,
2. रतनलाल पिता मांगूजी, जाति-चमार,
3. चन्द्रलाल पिता मांगूजी, जाति-चमार,
4. पूरा पिता किशनजी, जाति-चमार,
5. सामन्तलाल पिता कचरुलाल, जाति-चमार,
6. कमलाबाई विधवा कचरुलाल, जाति-चमार
7. रामगोपाल पिता कचरुलाल, जाति-चमार,
8. विनोद पिता कचरुलाल, जाति-चमार,
9. रामनिवास पिता कचरुलाल, जाति-चमार,
10. सालगराम पिता भेरु जाति चमार,
11. किशन पिता भेरु जाति चमार,
12. बगदीराम पिता पनाजी, जाति चमार, समस्त निवासीगण-ग्राम सेमली काकड तहसील सुवासरा जिला मंदसौर आवेदकगण

विरुद्ध

1. कैलाशनाथ पिता मनानाथ, जाति-कालबेलिया,
2. पीरुसिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत,
3. दरबारसिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत,
4. मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत, निवासीगण-ग्राम सेमली काकड तहसील सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र. ।
5. मेसर्स एवेंजर्स सोलर, प्रायवेट लिमिटेड द्वारा आशुतोष नारायण पिता विद्यासागर, जाति चौरसिया, कृषक सेमली काकड, तहसील सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता ।

—2—

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार सुवासरा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

काण कमांक PBR/निगरानी / मंदसौर / भू.रा./ 2017 / 2038 [अनलाइन/फ्लॉशनाचर]

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रबंधकारी एवं अभिभाषक
आदि के हस्ताक्षर

5-7-2017

आवेदकगण की ओर से श्री सुभाष बम्बोरिया, अभिभाषक उपस्थित।
ग्राह्यता पर सुना गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक
28-6-2017 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि
तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के
प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण में सुनवाई की जा रही है, जिसमें किसी
प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती
है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की
जाती है।


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष